According to information compiled by the Pesticides Association of India, a total quantity of 2889 tonnes of Endosulfan valued at Rs. 14.51 crores (cif) was imported during the period 1976-77 to 1980-81. A quantity of 103 tonnes of Endosulfan valued at Rs. 53 lakh (fob) was also exported during the period October, 1980/September, 1981.

राज्यों द्वारा वक्फ संपत्तियों को किराया नियंत्रण कानूनों से छूट

3753. **श्री अशफाक हुसैन :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने मुस्लिम वक्फ संपत्ति को किराया नियंत्रण कानूनों से छूट प्रदा और उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां वक्फ संपत्ति पर किराया नियंत्रण कानून लागू हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) प्रधान मंत्री ने किराया नियंत्रण कानूनों से वक्फ संपत्ति को छूट देने हेतु 1976 में किन-किन राज्यों को पत्र लिखे थे और उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया रही ; और

(ग) क्या सरकार का विचार वक्फ सम्पत्ति को सरकारी संपत्ति के रूप में घोषित करके इससे अवैध कब्जों की खाली कराने हेतु कदम उठाने का है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों ने वक्फ संपत्तियों को यह छूट दे दी है कि उन्हें स्थानीय भाटक नियंत्रण अधिनियम लागू नहीं होंगे। उड़ीसा गृह भाटक नियंत्रण अधिनियम, 1967 के उपबन्ध वक्फ संपत्तियों के लिए लाभकारी हैं और इसलिए उड़ीसा वक्फ बोर्ड इस बात से सहमत है कि यदि वक्फ संपत्तियों को इस अधिनियम की परिधि से बाहर कर दिया जाता है तो मामलों को अन्तिम रूप से निपटाने में अधिक समय लगेगा। कर्नाटक और केरल में राज्य के भाटक नियंत्रण अधिनियमों की परिधि से केवल उन्हीं वक्त संपत्तियों की छूट दी गई है जो सीधे ही वक्फ बोर्डों के प्रबन्ध के अधीन हैं। किन्तु इन राज्यों में सभी वक्फ संपत्तियों को इस प्रकार की छूट देने का प्रश्न विचाराधीन है। अरुणाचल प्रदेश, दादरा नागर हवेली, लक्षद्वीप तथा नागालैण्ड में कोई भी भाटक नियंत्रण अधिनियम नहीं है। मिजोरम और सिक्किम से सूचना मिली है कि उनके राज्य क्षेत्रों में कोई महत्वपूर्ण वक्फ सपत्ति नहीं है। गुजरात, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों ने खेद प्रकट करते हुए कहा है कि वे अपने भाटक नियंत्रण अधिनियमों से वक्फ संपत्तियों को छूट देने में असमर्थ हैं। शेष राज्य और संघ राज्य क्षेत्र इस मुद्दे पर विचार कर रहे हैं।

(ख) प्रधान मंत्री ने जिन राज्यों को लिखा था कि वे वक्फ संपत्तियों को अपने भाटक नियंत्रण अधिनियमों से छूट दे दें, वे हैं दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान। इनमें से हरियाणा, पंजाब और राजस्थान वक्फ संपत्तियों को भाटक नियंत्रण अधिनियमों से पहले ही छूट दे चुके हैं। हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश ने ऐसी छूट देने में अपनी असमर्थता के लिए खेद प्रकट किया है। दिल्ली और महाराष्ट्र इस विषय पर अभी तक विचार कर रहे हैं।

(ग) जी, नहीं।

Direct linking of Shaharghat P.C.O. with District Headquarters, Madhubani

3754. SHRI BHOGENDRA JHA: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to refer to the reply to Unstarred Question No. 292 on